कोटा के ऑटो स्पेयर व्यापारी से दिनदहाड़े 12 लाख के आभूषण लूटे

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 5 मार्च ग्वालियर में दिनदहाड़े एक व्यापारी के साथ लूट होने का मामला सामने आया है। कोटा के ऑटो स्पेयर पार्ट व्यापारी भरत भुटानी से तीन

आंखों में मिर्ची स्प्रे डालकर बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम

नकाबपोश बदमाशों ने लगभग 12 लाख रुपए कीमत के सोने के आभूषण लूट लिए। यह घटना गुरुवार दोपहर 3 से 3.30 बजे के बीच पड़ाव थाना क्षेत्र स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास हुई। बदमाशों ने पहले व्यापारी भरत भुटानी की आंखों में मिर्ची स्प्रे डाला। इसके बाद कट्टा दिखाकर उनके गले से 8 तोला वजनी सोने की चेन और हाथ का कड़ा लूटकर फरार हो गए।

जानकारी के मुताबिक व्यापारी भरत भुटानी निवासी 157 राजीव गांधी नगर, कोटा ग्वालियर में तानसेन नगर में रहने वाले अपने एक व्यापारी मित्र से मिलने के लिए गुरूवार को एक्टिवा पर सवार होकर जा रहे थे। तभी रास्ता भटकने के कारण वे रेलवे पटरी की तरफ चले गए, जहां पहले से ही मौजूद तीन नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाया। घटना के कुछ देर बाद व्यापारी ने थाने पहुंचकर मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। हालांकि, पुलिस को इस लूट के मामले पर अभी संदेह भी है। भरत भुटानी ने पुलिस को बताया कि वे 27 फरवरी को कोटा से ग्वालियर आए थे। वे यहां होली पर आदर्श रामलीला समिति द्वारा आयोजित रामलीला में शामिल होने पहुंचे थे। व्यापारी पिछले 8 सालों से इस रामलीला में विभिन्न महापुरुषों के किरदार निभाते आ रहे हैं।

इस मामले में पड़ाव थाना प्रभारी शैलेंद्र भार्गव ने बताया कि व्यापारी ने थाने आकर शिकायत की थी कि उसे गलत रास्ता बताकर बदमाशों ने पहले आंखों पर मिर्ची स्प्रे डाला, फिर सोने के जेवर लूटकर ले गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच की जा रही है। साथ ही घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं। जो भी जांच में सामने आएगा, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

गोला का मंदिर पुलिस ने गोली मारने वाले आरोपी को पकड़ा

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 5 मार्च शहर में एक युवक को गोली मारने के बाद आरोपी फरार हो गया था । जिसे गोला का मंदिर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है । पुलिस ने बताया कि फरियादी राकेश साहू निवासी आदर्श नगर, पिन्टो पार्क थाना गोला का मंदिर द्वारा थाने में रिपोर्द दर्ज कर बताया कि मंगलवार को शाम करीब 07:30 बजे वह काम से अपने घर वापस आया। घर पहुंचने पर उसका भतीजा अमित साहू घर आया और उसे बताया कि उसके बेटे विकास साहू को गोली लग गई है तथा उसे छोटू परिहार एवं उसके साथी उपचार हेतु मैक्स हॉस्पिटल लेकर गए हैं, सूचना मिलने पर वह अपने बेटे की जानकारी लेने के लिए शिव कॉलोनी होते हुए मैक्स हॉस्पिटल जा रहा था। रास्ते में पानी की टंकी के पास, शिव कॉलोनी में उसे रवि गुर्जर निवासी शिव कॉलोनी मिला, जिसने बताया कि रात्रि के समय पानी की टंकी के पास उसका मधुसूदन उर्फ पोपट तोमर से विवाद हो गया था। विवाद के दौरान मधुसूदन उर्फ पोपट तोमर ने कहा कि वह उन लोगों पर धारा 307 का झूठा मामला दर्ज करवा देगा तथा रवि गुर्जर और उसके साथियों कल्ली एवं शैलू गुर्जर को झूठे प्रकरण में फंसाने की नीयत से फरियादी राकेश साहू के बेटे विकास साहू पर जान से मारने की नियत से कट्टे से फायर कर दिया। जिससे गोली विकास साहू के सीने के दाहिनी ओर लगी और पीठ से बाहर निकल गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद छोटू परिहार एवं वीनू गुर्जर द्वारा घायल विकास साहू को उपचार के लिए पहले मैक्स हॉस्पिटल तथा बाद में लिंक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी गोला का मंदिर निरीक्षक धर्मेन्द्र सिंह यादव, उप निरी. तुलाराम कुस्तवार, उप निरी. अनुराग सिंह तोमर, उप निरी. लक्ष्मण गौड़, आर. राहुल भदौरिया, आर. कुलदीप गुर्जर, आर. सोनू गुर्जर, आर. गोविन्द राजावत, आर. मोहित सेंगर व आर. धर्मेन्द्र लोधी की सराहनीय भूमिका रही।

बोर्ड ने पलटा 'बेस्ट ऑफ फाइव' का फैसला, अगले साल से 10वीं में 7 और 12वीं में देने होंगे 6 पेपर

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 5 मार्च मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले लाखों विद्यार्थियों के लिए बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। पिछले नौ वर्षों से लागू 'बेस्ट ऑफ फाइव' सिस्टम को समाप्त करने की तैयारी की जा रही है। नए प्रस्ताव के अनुसार कक्षा 10वीं के छात्रों को अब 6 के बजाय 7 विषय और 12वीं के छात्रों को 5 की जगह 6 विषयों की परीक्षा देनी होगी। इस बदलाव का उद्देश्य केवल रिजल्ट प्रतिशत बढ़ाना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की विषयगत समझ और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत करना बताया जा रहा है।

बोर्ड का मानना है कि 'बेस्ट ऑफ फाइव' प्रणाली के कारण कई छात्र अनिवार्य विषयों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे थे। इससे वे परीक्षा तो पास कर लेते थे, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों में आवश्यक बुनियादी ज्ञान की कमी महसूस की जा रही थी। इसी कारण शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के लिए यह प्रस्ताव तैयार किया गया है।

2026-27 सत्र से लागू करने की तैयारी

विषयों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव लोक शिक्षण संचालनालय को भेजा गया है। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद इसे शासन स्तर पर भेजा जाएगा। यदि मंजूरी मिलती है, तो नई व्यवस्था 2026-27 शैक्षणिक सत्र से लागू की जाएगी।

दिगम्बर जैन सोशल ग्रुप का पारिवारिक रंगारंग होली हुड़दंग आयोजित

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 5 मार्च दिगम्बर जैन सोशल ग्रुप, ग्रेटर ग्वालियर का पारिवारिक रंगारंग होली हुड़दंग जैन छात्रावास में हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न हुआ। इस पारिवारिक मिलन समारोह में ग्रुप परिवार के लगभग 200 परिवारों के सदस्यों ने प्राकृतिक गुलाल के साथ डीजे की धुन पर फिल्मी होली गीत 'होली खेले रघुवीरा...' और 'रंग बरसे भीगे चुनरवाली...' पर थिरकते हुए उत्सव का भरपूर आनंद लिया। समाज के प्रवक्ता ललित जैन ने बताया कि रंगों के इस पर्व को ग्रुप परिवार ने बड़े ही उल्लास के साथ मनाया। सभी सदस्यों ने मजेदार पारिवारिक गेम्स खेले

और एक-दूसरे को ऑर्गेनिक गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दीं। छोटे बच्चों ने बड़ों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया, वहीं बड़ों ने गले मिलकर एक-दूसरे को होली की बधाई दी। डीजे पर सभी ने एक साथ मिलकर होली गीतों का आनंद लिया और जमकर ठुमके लगाए। रंग, गुलाल, मस्ती, धमाल और गीत-संगीत के बाद सभी सदस्यों ने स्वादिष्ट व्यंजनों का भी आनंद लिया। इस अवसर पर अनुपम चौधरी, मुकेश जैन, संजय जैन, आशीष जैन, शीतल जैन, अंबरीश जैन, रश्मि जैन, अध्यक्ष आशीष-प्रियंका जैन बैंक, सचिव अमित-राखी भंडारी, कोषाध्यक्ष रुपेश-रेखा जैन, गगन जैन, अंकित जैन, संजय जैन, दिनेश जैन, मयंक जैन, आशीष जैन, पियूष जैन, रवि जैन, राकेश जैन, नवीन-सुरभि जैन, हिमांशु जैन, कपिल जैन, सुरेंद्र जैन, अभिषेक जैन, शिक्षा जैन, मिनी जैन, नेहा जैन, अरुण जैन, ममता जैन, रौनक जैन, राहुल जैन, मिनी जैन, रोमिल जैन सहित ग्रुप के अनेक सदस्य मौजूद रहे।

दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ता रिहा

ग्वालियर 5 मार्च. दिल्ली में एआई समिट में भाजपा सरकार द्वारा अमेरिका के साथ की गई ट्रेड डील के विरोध में प्रदर्शन करने वाले ग्वालियर से भारतीय युवा कांग्रेस के दो नेताओं जितेंद्र यादव एवं राजा गुर्जर को दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर उन्हें जेल भेज दिया गया था। जेल से रिहा होने के बाद शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र यादव द्वारा दोनों युवा कांग्रेसियों का स्वागत किया गया।

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, **क़मर क़ुरैशी** (**QAMAR QURESHI**), पति श्री सलीम उद्दीन क़ुरैशी, निवासी पंचशील नगर, पागलखाना तिराहा के पास, सत्यम ऑटो रिपेयर के समीप, लश्कर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश - 474012, यह घोषणा करती हूँ कि मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम त्रुटिवश '**कूमर क़ुरैशी** (**QUMAR QURESHI**)' अंकित हो गया है। जबकि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक तथा अन्य सभी आधिकारिक दस्तावेजों में मेरा सही नाम '**क़मर क़ुरैशी** (**QAMAR QURESHI**)' ही दर्ज है। अतः भविष्य में मेरा सही एवं वैध नाम '**क़मर क़ुरैशी** (**QAMAR QURESHI**)' ही माना जाए। सभी संबंधित विभागों एवं व्यक्तियों से विनम्र अनुरोध है कि वे मुझे '**क़मर क़ुरैशी** (QAMAR QURESHI)' नाम से ही संबोधित करें तथा इस नाम से लिखा पढ़ा जाए और उसी नाम को मान्य समझें। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

मेरा सही नाम : क़मर क़ुरैशी
पता : पंचशील नगर, पागलखाना तिराहा के पास, सत्यम ऑटो रिपेयर के समीप, लश्कर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश - 474012
दिनांक : 05/03/2026

NASHIK MUNICIPAL CORPORATION, NASHIK
E-Tender Cell Department
Notice No. 67 (Year 2025-26)

E-Tender Notice Regarding the **PWD Department 1 work** of Nashik Municipal Corporation Nashik. vide E-Tender Notice No.67 (Year 2025-26) invites bids for which will be displayed on the website www.mahatenders.gov.in. from Dt.04/03/2026 to Dt.02/04/2026 up to 17.30 pm Last date for acceptance of tender will be Dt.02/04/2026.

Note - All further necessary notices/clarifications will be published on the online website.

जनसंपर्क/जा.क्र/४७८/२०२६
दि.४/३/२०२६
गोदा प्रदुषण टाळा, भविष्य संभाळा.

Sd/-
Executive Engineer
E-Tender Cell
Nashik Municipal Corporation

चेक अनादरण प्रकरण में निर्णायक फैसला

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 5 मार्च एचडीएफसी बैंक लिमिटेड द्वारा दायर चेक अनादरण प्रकरण में ग्वालियर जिला न्यायालय ने आरोपी रामवीर सिंह रघुवंशी, पुत्र चंदन सिंह, निवासी गुना को दोषी करार दिया है।

प्रकरण के अनुसार, बैंक द्वारा आरोपी को ऋण सुविधा प्रदान की गई थी। भुगतान में निरंतर चूक होने पर बैंक ने विधिसम्मत वसूली कार्यवाही प्रारंभ की। इसी क्रम में आरोपी द्वारा 7,50,000 रु. का एक चेक प्रस्तुत किया गया, जो खाते में अपर्याप्त धनराशि होने के कारण अनादृत हो गया।

बैंक द्वारा नियमानुसार विधिक नोटिस प्रेषित किए जाने के बावजूद निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया गया, जिसके पश्चात प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समस्त साक्ष्यों एवं तथ्यों के परीक्षण उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए छः माह के सश्रम कारावास तथा कुल 12,55,602 रु. के भुगतान का आदेश पारित किया। उक्त राशि में 7,50,000 रु. की चेक राशि तथा 5,05,602 रु. की दंडात्मक राशि सम्मिलित है।

प्रकरण में बैंक की ओर से लीगल मैनेजर अरुण सिंह द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए गए तथा बैंक के अधिवक्ता संदीप दुबे ने प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष सभी तथ्य सुदृढ़ रूप से प्रस्तुत किए।यह निर्णय वित्तीय अनुशासन एवं वैधानिक दायित्वों के पालन को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे स्पष्ट संदेश जाता है कि भुगतान संबंधी दायित्वों की उपेक्षा करने वालों के विरुद्ध विधि के प्रावधानों के अनुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी।

नंदगिरी सेवा समिति ने बच्चों को बाँटी रंग व पिचकारी

ग्वालियर 5 मार्च. होली के त्योहार पर नंदगिरी सेवा समिति के अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री आलोक श्रीवास्तव ने भिन्न-भिन्न बस्तियों में जाकर पिचकारी, रंग व अन्य सामग्री बाँटी। इस मौके पर बच्चों को पिचकारी व रंग मिलने पर वे खुश नजर आए। इस अवसर पर समिति के सदस्य दीपू, सारांश ,गुली व ऋतिक आदि लोग मौजूद रहे।

मंत्री व आप नेता के बीच हॉट टॉक

ग्वालियर। उर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और आप नेता रोहित गुप्ता व ओबीसी महासभा के नेताओं की आज उनके मंत्री बंगले पर ही तू तू मैं मैं हो गई। दरअसल मंत्री आम लोगों की समस्या अपने बंगले पर सुन रहे थे, तभी आप नेता रोहित गुप्ता अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे.

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई-5, अरेरा कालोनी, बिट्टन मार्केट , भोपाल-462016
फोन-0755 -2463585,2430154, फैक्स-0755 -4004137
वेबसाईट: www.mperc.in ई-मेल: secretary@mperc.nic.in

क्रमांक: मप्रविनिआ/डी(टी)/2026/365 दिनांक : 05.03.2026

सार्वजनिक सूचना

एमबी पावर (मध्य प्रदेश) लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपने थर्मल पावर प्रोजेक्ट अनुपपुर, मध्य प्रदेश के लिए आयोग के 28.02.2025 और 27.11.2025 दिनांकित आदेश से अवधारित उत्पादन टैरिफ और अनुपूरक प्रभार के सत्यापन के लिए याचिका दायर की है। यह याचिका विद्युत अधिनियम 2003 धारा 62 तथा धारा 86 (1)ए के एफ जीडी सिस्टम के लिए सहपठित मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण सम्बन्धी निबंधन एवं शर्तें) विनियमन, 2024 के तहत दायर की गई है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आयोग द्वारा अवधारित एएफसी के सत्यापन हेतु दावा किए गए वार्षिक स्थायी प्रभार का विवरण निम्नानुसार है।

(रूपये करोड़ में राशि)

विवरण	आयोग के 28.02.2025 दिनांकित आदेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एएफसी का अवधारण	याचिकाकर्ता के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एएफसी का दावा	सत्यापन राशि
अंश पूंजी पर प्रतिलाभ	345.54	462.18	116.64
अवमूल्यन/अवक्षयण	398.06	398.73	0.67
ऋण पर ब्याज	268.92	236.05	-32.87
प्रचालन और संधारण व्यय	317.34	399.46	82.12
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	105.17	107.92	2.75
कुल वार्षिक स्थायी प्रभार	**1435.03**	**1604.34**	**169.31**
कम : गैर-टैरिफ आय	-2.50	-1.33	1.17
शुद्ध वार्षिक स्थायी प्रभार	**1432.53**	**1603.02**	**170.49**
शुद्ध वार्षिक स्थायी प्रभार (अनुबंधित क्षमता के लिए)	**429.76**	**480.91**	**51.15**

वित्तीय वर्ष **2024-25** के लिए आयोग के अवधारित अनुपूरक प्रभार के सत्यापन हेतु दावा किए गए वार्षिक अनुपूरक (एफ जीडी क्षमता के लिए)स्थायी प्रभार का विवरण निम्नानुसार है :

(रूपये करोड़ में राशि)

विवरण	आयोग के 27.11.2025 दिनांकित के अनुसार वार्षिक अनुपूरक क्षमता प्रभार अवधारण अवधि 01.06.2024 से 31.03.2025 के लिए	याचिकाकर्ता के द्वारा अवधि 01.06.2024 से 31.03.2025 के लिए वार्षिक अनुपूरक क्षमता (स्थायी)प्रभार का दावा	सत्यापन राशि
अंश पूंजी पर प्रतिलाभ	27.32	38.17	10.85
अवमूल्यन/अवक्षयण	42.38	44.18	1.8
ऋण पर ब्याज	58.42	61.36	2.94
प्रचालन और संधारण व्यय	14.71	15.91	1.2
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	3.44	3.59	0.15
वार्षिक अनुपूरक स्थायी प्रभार	146.28	163.34	17.06
वार्षिक अनुपूरक स्थायी प्रभार एमपीपीएमसीएल शेयर 30: के लिए	**43.88**	**49.00**	**5.12**
संचालित दिनों की संख्या	304	304	304
संचालित दिनों की संख्या के लिए अनुपूरक स्थायी प्रभार	36.55	40.81	4.26

आयोग ने याचिका को स्वीकार कर इसे **याचिका संख्या 04/2026** के रूप में दर्ज किया हैं।

इस संबंध में आपत्ति/टिप्पणी /सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति उनके तथ्यों की पुष्टि में दस्तावेजों और साक्ष्यों की प्रतियों के साथ अपने मोबाइल नंबर एवं ईमेल आई.डी. सहित अपनी आपत्ति/टिप्पणी/सुझाव सीधे सचिव, म.प्र विद्युत नियामक आयोग, ''मेट्रोप्लाजा'', तल- 5, ई-5, अरेरा कॉलोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल -462016 को इस प्रकार भेज दें की इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से **21 दिनों** के अंदर आयोग कार्यालय पहुँच जाए। इसकी एक प्रति निदेशक एमबी पावर (मध्य प्रदेश) लिमिटेड, 239, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट फेज -III, नई दिल्ली 110020 को भी भेज दें। आपत्तियों/टिप्पणियों/सुझावों की अग्रिम प्रति को फैक्स अथवा ई-मेल से भी भेजा जा सकता हैं। किसी शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है।

इच्छुक व्यक्ति याचिका (अंग्रेजी संस्करण) की प्रति कार्य दिवस में पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 4:00 बजे तक आयोग कार्यालय या एमबीपीएमपीएल 239, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट फेज - III, नई दिल्ली 110020 से प्राप्त कर सकते है। इसके लिए 200 रू. नकद या किसी अनुसूचित बैंक का 200 रू. का डिमाण्ड ड्राफ्ट एमपीईआरसी के नाम भोपाल में देय या एमबी पावर (मध्य प्रदेश) लिमिटेड के नाम से नई दिल्ली में देय देना होगा। याचिका की प्रति 50 रू. अतिरिक्त डाक शुल्क भुगतान कर डाक से भी प्राप्त की जा सकती है। यह याचिका आयोग की वेबसाइट www.mperc.in पर भी उपलब्ध है।

इस प्रकरण में जन सुनवाई का आयोजन (हाईब्रिड मोड) दिनांक **07.04.2026** को प्रात: **12:00** बजे किया जायेगा। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने निर्धारित समय सीमा में अपने लिखित आपत्ति/टिप्पणी/सुझाव प्रस्तुत किये हैं, उनके मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर उक्त जन सुनवाई हेतु आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध गाईडलाईन्स के अनुसार उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचना दी जायेगी।

आयोग के आदेशानुसार
(संजय कुमार बघेल)
प्रभारी सचिव

जेसीआई ने किया 'रंगीलो राजस्थान' का रंगारंग आयोजन

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 5 मार्च जेसीआई ग्वालियर द्वारा होली मिलन समारोह 'रंगीलो राजस्थान' का आयोजन राम वाटिका में धूमधाम से किया गया । उपस्थित सदस्यों द्वारा राजस्थानी थीम पर अंताक्षरी एवं फूलों की होली खेल कर सभी के साथ होली के गीत व फाग गीतों पर जेसी, लेडी जेसी व जेसीलेटस द्वारा नृत्य का आनंद लिया गया।

लेडी जेसी विंग द्वारा कार्यक्रम को रोचक व मनोरंजक बनाने के लिए हाउजी, बच्चों के लिए गेम जोन, मिक्की माउस, ऊंट की सवारी आदि कार्यक्रम रखे गए। इस अवसर पर सदस्यों ने सेल्फी पॉइंट पर परिवार एवं मित्रों के साथ फोटोज भी लिए ।

अध्याय अध्यक्ष कपिल अग्रवाल व मानसेवी सचिव विजय अग्रवाल द्वारा अतिथियों व जेसी साथियो का चन्दन का तिलक लगाकर एवं राजस्थानी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया, साथ ही जनरल हाउस के

माध्यम से सभी सदस्यों को सम्बोधित करते हुए सदस्यों द्वारा किये गये सवालों एवं सुझावों पर चर्चा की गयी।

सभी जेसी सदस्य परिवार संग रंग - बिरंगे आकर्षक पारंपरिक परिधान कुर्ता पजामा में व लेडी जेसी लहँगा चुन्नी बांधनी साड़ी आदि परिधान में भारतीय सभ्यता के रंग बिखेर रहे थे। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्षगण रमेश श्रीवास्तव, मानव मेहरा, वरुण अग्रवाल, मुकेश जैन, एडमिनिस्ट्रेटर नीलेश बिंदल, रितेश अग्रवाल, राहुल गुप्ता, आनंद शर्मा, निवर्तमान अध्यक्ष अभिनव सिंघल, लेडी जेसी विंग चेयरपर्सन लेडी शिवानी अग्रवाल आदि उपस्थित थीं।

कार्यक्रम के कन्वेनर पूर्व अध्यक्ष रिंकेश अग्रवाल, प्रभारी उपाध्यक्ष अर्पित गगरानी, कार्यक्रम संयोजक आकाश अचरा अंजलि अचरा एवं अंबर मित्तल थे । इस अवसर पर अध्याय के पूर्व अध्यक्षगण, पूर्व चेयरपर्सन्स के साथ साथ बड़ी संख्या में जेसी, लेडी जेसीज व जेसीलेट्स उपस्थित थे । कार्यक्रम के अंत में मानसेवी सचिव विजय अग्रवाल ने आभार प्रकट किया।

Name Change Notice

I, **Pooja Vithal Kurmile** D/o No-JC770786F Rank-Sub Name- Kurmile Vithal Manohar residing at Unit 256FD, WKSP C/o 56APO Pin- 906256 have Changed my name from **Pooja Vitthal Kurmile** to **Pooja Vithal Kurmile** vide affidavit no. BX-195653 dated 19/2/2026.

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 19 वार्ड क्रमांक 44 भवन क्रमांक स्थान हनुमान नगर में स्थित है जो कि कन्हैया लाल अरोरा पुत्र सारंगमल अरोरा के नाम से नगर निगम में आई डी क्रमांक 1000070850 पर दर्ज है। /नही है जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग फुट है। उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड मृत्यु उपरांत पत्र क्रमांक दिनांक द्वारा क्रय / उत्तराधिकार से प्राप्त / वसीय तनामा से प्राप्त किया गया है उक्त सम्मत्तिकर मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत । धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र पर दिनांक 02/03/2026 को किया गया है जिसका आवेदन पत्र क्रमांक 82/2011/25209/25299 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्ति कर विभाग कक्ष क्र.202,205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 05-03-2026
आवेदक का नाम/पता
अशोक अरोरा, दिनेश अरोरा / स्व.कन्हैया लाल अरोरा
ग्राम - हनुमान नगर ,ग्वालियर, मध्यप्रदेश

अवैध हथियार के साथ ट्रैक्टर से हुड़दंग मचाने वाला पकड़ा

ग्वालियर 5 मार्च. अवैध हथियार के साथ ट्रैक्टर से हुड़दंग मचाने वाले आरोपी को मय अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से एक 315 बोर का एक देशी कट्टा एवं एक जिंदा राउण्ड तथा बिना नम्बर के नीले रंग का ट्रैक्टर व ट्रॉली को जप्त किया गया है। गिजोर्रा थाना प्रभारी उप निरीक्षक उपेन्द्र सिंह धाकड़ के नेतृत्व में इलाका भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति ग्राम काशीपुर तिराहा माता मदिर के पास नीले रंग का बिना नम्बर के ट्रैक्टर ट्रोली लगाकर और हाथ में 315 बोर का कट्टा लेकर लहराता हुआ तंग गलियों में दौड़ाते हुये हुडदंग मचा रहा है। उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम दिलीप यादव पुत्र रतन सिंह यादव आयु 25 वर्ष निवासी गाम गणेशपुरा थाना गिजोर्रा जिला ग्वालियर हाल पता ग्राम सोसा लक्ष्मण यादव का घर थाना उटीला ग्वालियर बताया।

Chola Enter a better life

चोलामंडलम निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालय : चोला क्रेस्ट, सी-54 और सी-55, सुपर बी-4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुइंडे, चेन्नई-600032 (तमिलनाडु)

ई-नीलामी बिक्री सूचना (केवल ई-बोली के माध्यम से बिक्री)

अचल सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (6) और 9 (1) के तहत जारी की गई

आम जनता और विशेष रूप से कॉलम (ए) में उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति(संपत्तियां), कॉलम (सी) में वर्णित संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदार चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/बंधक है और जिसका कब्जा कॉलम (डी) में वर्णित अनुसार आवास के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को 'जैसा है जहां है', 'जैसा है वैसा ही' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जाएगा, जैसा कि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार है. उधारकर्ता/गिरवीदार/कानूनी वारिस, कानूनी प्रतिनिधि (चाहे) संबंधित उधारकर्ता/गिरवीदार (मृतक) के ज्ञात या अज्ञात, निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारी और असाइनी, जैसा कि सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 8 (6) के तहत कॉलम (ए) में दर्शाया गया है. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट https://www.cholamandalam.com और www.auctionfocus.in पर दिए गए लिंक देखें.

क्र. सं.	(ए) ऋण खाता संख्या / उधारकर्ता/बंधक के नाम / गिरवीदार/बंधकदार	(बी) बकाया राशि (संरक्षित ऋण)	(सी) अचल संपत्ति/संरक्षित परिसंपत्ति का विवरण	(डी) कब्जे का प्रकार	(ई और एफ) आरक्षित मूल्य (रुपये में) बयाना राशि (रुपये में)	(जी) नीलामी की तिथि और समय
1.	**ऋण खाता नंबर: LAP3SPI000117859** 1. श्रीमान/श्रीमती जावेद खान 2. श्रीमान/श्रीमती शेख खान 3. श्रीमान/श्रीमती जमाल उद्दीन 4. श्रीमान/श्रीमती मुदस्सिर बेगम **क्रम संख्या 1, 2, 3 और 4 के लिए पता :** स्कूल के पीछे, वार्ड नंबर 6 हम्माल मोहल्ला छावनी शिवपुरी, छावनी स्कूल के पास, शिवपुरी, मध्य प्रदेश - 473551. **क्र. 1, 2, 3 एवं 4 के लिए पता :** मकान नंबर 633, वार्ड नंबर 05 एवं न्यू 06, हम्माल मोहल्ला, शिवपुरी, शिवपुरी, शिवपुरी, मप्र, 473551	रुपये 20,14,051/- (रु. बीस लाख चौदह हज़ार इक्यावन मात्र) दिनांक 16-12-2025 तक	**साइट के अनुसार पता-** हाउस नंबर 633 वार्ड नंबर 05 और नया 06, हम्माल मोहल्ला शिवपुरी शिवपुरी शिवपुरी 473551 म.प्र. **डॉक्यूमेंट के अनुसार पता-** वार्ड नंबर 05 हम्माल मोहल्ला, शिवपुरी, पाटोर नंबर 633, छावनी स्कूल के पीछे 633, शिवपुरी, मध्य प्रदेश लैंडमार्क-कस्टम गेट के पास सबसे नज़दीकी चोला ब्रांच-शिवपुरी सबसे नज़दीकी चोला ब्रांच 2 से दूरी, **बाउंड्री दिशा-** प्लान/डीड के अनुसार लेआउट-पूर्व-पनाह मोहम्मद का घर, पाटोर बाबू खान, पाटोर जाफ़री बकील पश्चिम-गली खरजाद्वार, दक्षिण गली फ़र्शदार, उत्तर-पाटोर शौकत अली के अनुसार शौकत अली के अनुसार असली जगह- ईस्ट- अनवर जाफ़री का घर, वेस्ट- रोड 8 फीट, साउथ- रोड 5 फीट, नॉर्थ- हसीन का प्लाट कुल माप- 930 वर्गफीट, 86.39 वर्गमीटर.	रचनात्मक कब्जा	रु. 40,92,000/- (रु. चालीस लाख बानवे हज़ार मात्र) रु. 4,09,200/- (रु. चार लाख नौ हज़ार दो सौ मात्र)	08-04-2026 दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक (निविदा दस्तावेज़ के अनुसार प्रत्येक 5 मिनट के स्वचालित विस्तार के साथ)

निरीक्षण तिथि एवं समय : 06.04.2026, सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे के बीच
न्यूनतम बोली वृद्धि राशि : रुपये 10,000/-
बोली/ईएमडी/भागीदारी के लिए अनुरोध पत्र जमा करने की अंतिम तिथि : 07.04.2026, शाम 5.00 बजे से पहले

*ऋण समझौते के अनुसार लागू ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि सहित, भुगतान और/या प्राप्ति की तिथि तक हुए सभी खर्चों सहित. संपत्ति के निरीक्षण, बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न के लिए, कृपया निम्नलिखित से संपर्क करें: 1. **मोहित सूर्या, मोबाइल नंबर: 9301048008** और **ईमेल: mohitsurya@chola.murugappa.com**, 2. **विनय सांखेरे, मोबाइल नंबर: 9737317135** और **ई-मेल:** vinaysb@chola.murugappa.com चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी. चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कोई भार नहीं है.

दिनांक : 04.03.2026
स्थान : शिवपुरी, मध्य प्रदेश

हस्ताक्षर/-
अधिकृत अधिकारी
चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के लिए